छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक.....14...../2019 दिनांक 15/10/2019

विषयः– **मण्डल की योजना में 10 प्रतिशत भवन ऑफर से विक्रय करने के आदेश में संशोधन।**

---***---

विषयांतर्गत मण्डल के 44वॉ सम्मिलन दिनांक 12.08.2014 के पद संख्या क्रमांक–09 पर पारित संकल्प क्रमांक 1242–09/44/08/2014 दिनांक 12.08.2014 के निर्णय अनुसार उक्त आदेश को संशोधित करते हुए निर्देशित किया गया है कि कमजोर आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) भवनों के अतिरिक्त अन्य समस्त निर्मित/निर्माणाधीन भवनों की योजना की कुल पंजीयन संख्या में 90 प्रतिशत भवनों हेतु पंजीयन कराया जावें एवं शेष 10 प्रतिशत अच्छी स्थिती (बेटर लोकेशन) के भवनों को योजनापूर्ण होने पर ऑफर के माध्यम से विक्रय करने हेतु आरक्षित रखा जावें। मुख्यालय स्तर से भवनों के क्रमांक आरक्षित किए जावेगे। इस प्रकार ऑफर द्वारा भवन के वास्तविक मूल्य से अधिक प्राप्त राशि योजना लागत में वृद्धि को समायोजित करने हेतु उपलब्ध हो सकेगी।

वर्तमान में बहुत से हितग्राही 10 प्रतिशत आरक्षित निर्माणाधीन भवनों को क्रय करना चाहते है। निर्माण पूर्णता तक मण्डल की आरक्षित भवन रिक्त स्थिति में रहती है, जिसमें मण्डल निधि का उपयोग किया जाता है। जिससे मण्डल की निधि अवरुद्ध रहती है यदि उक्त आरक्षित भवनों को निर्माणाधीन अवधि में ऑफर आधार पर विक्रय की अनुमति दी जाती है तो योजना में आरक्षित भवन शीघ्र विक्रय किये जा सकेंगे एवं मण्डल निधि भी अवरुद्ध नही होगी।

मण्डल के 60वॉ सम्मिलन दिनांक 16/09/2019 के पद संख्या क्रमांक–11 पर पारित संकल्प क्रमांक 1759/11/60/09/2019 दिनांक 16/09/2019 द्वारा संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर दीर्घविचारोंप्रांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए कमजोर आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) भवनों के अतिरिक्त अन्य समस्त निर्मित/निर्माणाधीन भवनों की योजना की कुल पंजीयन संख्या में 90 प्रतिशत भवनों हेतु पंजीयन कराया जावें एवं शेष 10 प्रतिशत अच्छी स्थिती (बेटर लोकेशन) के आरक्षित भवनों को निर्माण कार्य प्लींथ स्तर पर पूर्ण हो जाने पर निर्माण अवधि में ही ऑफर आधार पर विक्रय नियमानुसार मूल्य निर्धारण करते हुए (लागत मूल्य में ब्याज राशि जोड़ते हुए अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि जोड़ कर) किये जाने अनुमति प्रदान की गई तथा प्राप्त ऑफर पुनः बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने निर्णय लिया गया है, तदानुसार कार्यवाही की जावें।

आदेशानुसार

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर

क्रमशः–02

पृ.क्र1927/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/19 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15/10/2019

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)।
4. अपर आयुक्त,(जे/व्ही/पी) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त–रायपुर/वृत्त–नवा रायपुर अटल नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–01,02,03,04 रायपुर/राज. परिसंभाग–1,2,नवा रायपुर/संभाग–दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा/कोरिया की ओर सूचनार्थ।
10. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–01,02,03,04,05 रायपुर/राज. परिसंभाग–1,2,रायपुर/संभाग–दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा/कोरिया की ओर सूचनार्थ।
11. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
12. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

मुख्य ~~संपदा अधिकारी~~
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय,पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर